

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या- 1165/जि०नो०वि०/2023

दिनांक- अगस्त 03, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र संख्या- 3185/चरि०वै०राहा०-उ०जि०ए०/2022-23 हरिद्वार दिनांक 31 जुलाई, 2023 में उल्लेख किया गया है कि अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नो०वि० हरिद्वार के द्वारा अपने पत्र संख्या-2022/131 दिनांक 27.07.2023 से अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय सड़क निधि 2022-23 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नि०रा० क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम डालूवाला-लालवाला-धनोरी मार्ग में रिठौराग्रन्ट के पास रतगुज नदी की सहायक नदी चामरो में सेतु का नव निर्माण कार्य किया जाना है। जिसकी स्वीकृति परियोजना कार्यान्वयन इकाई(सेतु सिंचाई एवं स्लोप) यू०डी०आर०पी०-ए०एफ०, उत्तराखण्ड गेहरादन के पत्रांक-19/ UGRIDP/ tender/01 दिनांक 19.04.2023 द्वारा रु० 16.13 करोड़ मात्र की निर्मात की जा चुकी है। जिसके दृष्टिगत रिठौराग्रन्ट परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा सं० 194ग से 0.3है० भूमि पर जन सुविधा की दृष्टिगत आवाजाही हेतु सेतु निर्मित किया जाना है। तहसीलदार हरिद्वार से प्राप्त आख्यानुरार ग्राम रिठौराग्रन्ट परगना रुड़की तहसील व जनपद हरिद्वार के खसरा नम्बर 194ग क्षेत्रफल 2.2430है० संलग्न खतोनी के अनुसार नदी श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 194 की सीएच-45 की छायाप्रति संलग्न की गई है। अन्त में सेतु निर्माण की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गई है।

अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नो०वि०, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांकित 27.07.2023 में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त सेतु के निर्माण हेतु लम्बे समय से ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। इस सेतु के बनने से लालवाला खालसा, लालवाला मजकता, जरसावाला कुड़कावाला, डालूवाला, नोकराग्रन्ट, मुजाहिदपुर सतीवाला आदि ग्रामों की कुल आवादी 17572 ग्रामीणों/क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। उक्त सेतु हेतु ग्राम रिठौराग्रन्ट परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या-194ग से 0.3है० भूमि विभाग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की संस्तुति दिनांक 31.07.2023 के आधार पर आपदा से सुरक्षा तथा जन सामान्य की जान-माल की रक्षा एवं उपयोगिता/हित को ध्यान में रखते हुए ग्राम रिठौराग्रन्ट परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा संख्या-194ग से 0.3है० भूमि पर व्यापक जनहित में सेतु के फ्लोटिंग रद्दचक्र निर्माण के लिए इस शर्त के साथ अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जाती है कि उक्त भूमि की श्रेणी/स्वागिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक:-03.08.2023

ह०/  
(धीराज सिंह गव्याल)  
जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार हरिद्वार।

2- अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नो०वि० हरिद्वार।

सं० 3/0-11

अभिजातो अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नो०वि०  
हरिद्वार  
03/08/23

21/11  
(पी०एल०शाह)  
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)  
हरिद्वार।

03/08/23